(508) (28)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 2(18)नविवि/3/2017 जयपुर,दिनांक: 21 JUN 2017

आदेश

राजस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल आदि स्थानीय निकायों को इस विभाग के आदेश क्रमांक 5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 15.03.2017 द्वारा बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 के लिए प्रदान की गयी है।

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जहां भूखण्ड/भवन मालिकों द्वारा भूखण्ड/परिसरों को विक्रय कर दिये है अथवा उनके द्वारा ऐसे विक्रय किये गये भूखण्ड/परिसरों की सूची स्थानीय निकायों को प्रस्तुत करने के उपरान्त भी ऐसे भूखण्ड/परिसरों की बकाया लीज राशि जमा कराने हेतु भूखण्ड/परिसर विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है जो कि उचित नहीं है। ऐसे भूखण्ड/परिसरों के संबंधित विक्रय पत्रों में यह आवश्यक शर्त होती है कि स्वामित्व हस्तान्तरण की दिनांक से पूर्व तक की समस्त बकाया राशि जमा कराने का दायित्व विक्रेताओं का होगा तथा स्वामित्व हस्तान्तरण की दिनांक के पश्चात की समस्त बकाया राशि जमा कराने का दायित्व क्रेता स्वयं का होगा। यदि विक्रेता द्वारा जहां भूखण्ड/भवन/परिसर का विक्रय कर दिया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित नगरीय निकाय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

अतः राजस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल आदि स्थानीय निकायों द्वारा बकाया लीज राशि के संबध में उपरोक्तानुसार ऐसे भूखण्ड/परिसरों के वास्तविक स्वामी/उपयोगकर्ता से छूट अवधि में लीज राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

आज्ञा से,
21/6/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है-

(1) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
(2) निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
(3) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(4) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, न.वि.वि.।
(5) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(6) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
(7) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(8) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(9) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(10) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(11) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
(13) रक्षित पत्रावली।

21/6/17
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम